MIDHANI

MDN/CS/COMPLIANCE /2022-23 Date: 31.05.2022

BSE Limited,
P.J. Towers, 1st Floor,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

Scrip Code: 541195

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5thFloor; Plot No. CII
G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400051

Trading Symbol: MIDHANI

Sub: Newspaper Advertisement

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith relevant pages of **"Business Standard"** (English),**"Hindi Milap"** (Hindi) and **"Eenadu"** (Telugu) newspapers, published on May 31, 2022, depicting information regarding Postal Ballot/ e-voting information.

This is for your information and record.

Thanking You

मिश्र धातु निगम लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय
हैदराबाद
Hyderabad-500058
Mishra Dhatu Nigam Limited, Ministry of Defence

Yours Faithfully,
For Mishra Dhatu Nigam Limited

Paul Antony
Company Secretary & Compliance officer
Company.secretary@midhani-india.in

Encl: As above

CORAL INDIA FINANCE AND HOUSING LIMITED

CIN No.: L67190MH1985PLC036306
Regd. Office: 4th Floor, Dalamal House, J B Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021
Tel No.: 022-2283 5911/11, Fax No.: 022-2283 5910
Website: www.coralhousing.in ; Email: co@coralhousing.in

NOTICE

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND(IEPF) AUTHORITY

Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Equity Shares of the Company in respect of which the dividend declared during the financial year 2014-15 has remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of IEPF Authority.

The Company has sent individual notices to the registered addresses of the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority advising them to claim their unclaimed dividend. The Company has uploaded details of such shareholders on its website www.coralhousing.in

In this connection, please note the following:

1) **In case you hold shares in physical form:** Duplicate Share Certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you will stand automatically cancelled.

2) **In case you hold shares in electronic form:** Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

Shareholders are requested to claim the unclaimed dividend amount for the year 2014-15 and onwards, by sending a request letter to Link Intime India Private Limited, the Registrar and Transfer Agent or to the Company mentioning 1. Name of the Company, 2. Folio No. or DP and Client ID, 3. Name of shareholder, 4. Contact No., 5. Email ID. Also provide self-attested KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof.

In the event a valid claim is not received on or before October 28, 2022, the Company will proceed to transfer the table dividend and Equity Shares in favor of IEPF Authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholder can claim the shares and dividend including all benefits accruing on such shares from IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in Form IEPF-5, to the Nodal Officer of the Company.

In case any queries/ clarifications on the subject matter, the shareholders may contact Link Intime India Private Limited and Company at:

M/s. Link Intime India Private Limited (Unit: Coral India Finance and Housing Limited) C-101,247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083 **Tel. No.:** (022) 49186270 **Email:** rnt.shares@linkintime.co.in	**Coral India Finance and Housing Limited** Dalamal House, 4th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021 **Tel. No.:** 022-22835910/11 **Email:** dr@coralhousingin

For Coral India Finance and Housing Limited,
Sd/-
Riya Shah
Company Secretary

Date : May 30, 2022
Place : Mumbai

BINNY LIMITED

CIN: L17111TN1960PLC003736
Regd. Office: No 1, Cooks Road, Perambur, Chennai 600 012
Website: www.binnyltd.in; email: binny@binnyltd.in; T: 044 - 2662 1703; F: 044 - 2662 1709

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2022	Quarter ended 31.03.2021
		Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	2,793.77	9,408.07	1,448.27
2	Net Profit / (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1,862.97	5,119.95	2,397.84
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,862.97	5,119.95	2,397.84
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	972.48	3,240.58	1,624.32
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	1,209.40	4,347.12	1,792.78
6	Equity Share Capital	1,115.97	1,115.97	1,115.97
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) (Not Annualised)			
	(a) Basic (in Rs.)	4.35	14.50	7.26
	(b) Diluted (in Rs.)	4.35	14.50	7.26

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's Website (www.binnyltd.in) and Stock Exchange's website (www.bseindia.com).
2. The above extract has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended).

For Binny Limited
Sd/-
Arvind Ramalingam
Managing Director

Place: Chennai
Date: 30.05.2022

COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED

Coromandel
Regd. Office: "Coromandel House", 1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500 003, Telangana
Email ID: investorgrievance@coromandel.murugappa.com, Website: www.coromandel.biz
CIN: L24120TG1961PLC000932, Tel No.: +91-40-6606 7000 / 7300 / 7500

NOTICE

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), as amended from time to time, every company has to transfer the shares, in respect of which the dividend(s) remain unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF ACCOUNT) AUTHORITY established by the Central Government (IEPF Authority).

Notice is hereby given that the shares of the Company, in respect of which the final dividend declared by the Company for the financial year 2014-15 remains unpaid or unclaimed, the due date for transfer of same to IEPF Authority is August 30, 2022. Accordingly, the Shareholders of the Company are requested to claim such unpaid or unclaimed dividend on or before August 14, 2022, failing which no claim shall thereafter be against the Company.

To claim the said unpaid or unclaimed dividend amount before it is transferred to the IEPF Authority, Shareholders may forward to KFin Technologies Ltd (KFin), (formerly Kfin Technologies Pvt. Ltd.), the following documents on or before August 14, 2022:

In case of physical shareholders:

- Request for registering their KYC details or changes / updation thereof in form ISR-1
- Confirmation of signature of securities holder by the Banker in form ISR-2
- Nomination form / Declaration for Nomination opt-out in form SH-13/SH-14

The above forms can be downloaded from the following weblinks:
https://ris.kfintech.com/clientservicing/isc/isrforms.aspx; download.zip

In case of electronic shareholders:

- Letter of Undertaking, duly filled in and signed
- Self-attested copy of PAN Card and Address proof
- Copy of cancelled Cheque

The Company has already sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF at their address registered with the Company, inter alia providing the details of the shares due for transfer to IEPF Authority. Details of such shares are also available on the website of the Company. In the event, valid claim is not received from the Shareholders on or before August 14, 2022, the Company will proceed to transfer the shares in respect of such unpaid / unclaimed dividend to IEPF Authority as per the requisite procedure.

Please note that upon transfer, the concerned shareholder can claim the unclaimed / unpaid dividend and the shares from the IEPF Authority by making application in Web Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company), along with the requisite documents enumerated in the Web Form IEPF-5 to the Company at its registered office for certification of claim. The Company shall send verification report to IEPF Authority for refund of the unclaimed dividend and transfer of the shares back to the credit of the shareholder.

Information on the shares is available in the Company's website https://coromandel.biz

For further information/clarification, concerned shareholders may contact the Company or the Registrar & Share Transfer Agent (KFin Technologies Limited), at the following address:

Coromandel International Limited Regd. Office: "Coromandel House", 1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500 003 Tel No.: +91-40-6606 7300 Fax: +91-40 2784 6117 Email: investorgrievance@coromandel.murugappa.com Website: www.coromandel.biz	KFin Technologies Limited Regd. Office: Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 Tel.: +91-40-6716 1515 / 1560 Fax No.: +91-40 2342 0814 Toll Free No.: 1800-3094-001 Email: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com

For Coromandel International Limited
Sd/-
Rajesh Mukhija
Sr Vice President – Legal & Company Secretary

Place: Secunderabad
Date: May 31, 2022

TIERRA AGROTECH LIMITED

CIN: L15500TG1983PLC170115
Registered Office: 1st Floor, Sravanee Complex, Kamalapuri Colony Lane, Next to L V Prasad Hospital, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034.

Extract of Audited Consolidated Financial results for the Quarter and year ended 31.03.2022

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	PARTICULARS	Consolidated			
		QUARTER ENDED 31-03-2022 Audited	QUARTER ENDED 31-12-2021 Un-Audited	YEAR ENDED 31-03-2021 Audited	YEAR ENDED 31-03-2022 Audited
1	Total income	1,325.41	423.05	5837.45	5,679.86
2	Net Profit (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(490.73)	(833.33)	(742.54)	(1,595.53)
3	Net Profit before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(490.73)	(833.33)	(759.73)	(1,683.03)
4	Net Profit after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(406.17)	(771.88)	(627.26)	(1,381.87)
5	Total Comprehensive Income [Comprising Profit after tax and Other Comprehensive Income (after tax)]	(355.33)	(749.93)	(690.61)	(1,331.17)
6	Paid up Equity Share Capital (Rs 10/- Per Equity Share)	2,515.52	2,515.52	2,515.52	2,515.52
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of previous year ended)			3165.27	1859.88
8	Earnings Per share (of Rs 10/- each) (Not Annualised)				
	a) Basic	(1.61)	(3.07)	(2.49)	(5.41)
	b) Diluted				

1) The above Financial results as recommended by the Audit Committee were considered and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30th May, 2022.
2) Key data relating to Standalone financial results of Tierra Agrotech Limited is as under:

Sr. No.	PARTICULARS	Standalone			
		QUARTER ENDED 31-03-2022 Audited	QUARTER ENDED 31-12-2021 Un-Audited	YEAR ENDED 31-03-2021 Audited	YEAR ENDED 31-03-2022 Audited
1	Total income (Rs.in Lakhs)	1,325.41	423.05	5,616.24	5,574.92
2	Profit before tax (Rs.in Lakhs)	(468.19)	(788.68)	(793.58)	(1,645.87)
3	Profit after tax (Rs.in Lakhs)	(329.82)	(726.96)	(468.12)	(1,206.09)
4	Total comprehensive income after tax (Rs.in Lakhs)	(123.57)	(716.33)	(435.29)	(1,174.20)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on company's website at www.Tierra Agrotech.com and the stock exchange's website, www.bseindia.com.

By and on behalf of the Board
Sd/-
Vijay Kumar Deesanda
Whole Time Director and Compliance Officer
DIN:09691125

Place: Hyderabad
Date: 30-05-2022

Best View Infracon Limited

CIN: U70200DL2006PLC150041
Regd. office: 201-212, 2nd Floor, Splendor Forum, Jasola District Centre, New Delhi-110025
Tel.: 011-40655000 , , Website : www.eldecogroup.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2

(Rs. in thou

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.03
		Audited	Unaudited	Audited	Aud
1	Total Income from Operations	287.52	252.88	1,152.06	1,21
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,Exceptional and/or Extraordinary items)	(468.66)	(728.36)	(1,768.52)	(1,6
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(468.66)	(728.36)	(1,768.52)	(1,6
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(468.66)	(728.36)	(1,768.52)	(1,7
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the Period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(468.66)	(728.36)	(1,768.52)	(1,
6	Paid- up Equity Share Capital (face value of ₹ 10 per Equity Share)	500.10	500.10	500.10	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			(7,607.27)	(
8	Securities Premium Account			(7,107.17)	
9	Net Worth	17,48,824.67	16,44,382.19	11,48,824.67	1
10	Paid up Debt Capital /Outstanding Debt				
11	Outstanding Redeemable Preference Shares				
12	Debt Equity Ratio	(346.06)	(247.70)	(346.06)	
13	Earnings/(Loss) per Equity Share (for Continuing and Discontinued Operations)				
	1. Basic (₹)	(9.37)	(14.56)	(35.37)	
	2. Diluted (₹)	(9.37)	(14.56)	(35.37)	
14	Capital Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	
15	Debenture Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	
16	Debt Service Coverage Ratio	(0.02)	(0.04)	(0.02)	
17	Interest Service Coverage Ratio	(0.02)	(0.04)	(0.02)	
18	Current Ratio	0.08	0.25	0.08	
19	Long Term Debt to Working Capital	(4.05)	(5.07)	(4.05)	
20	Bad Debts to Account Receivable Ratio	NA	NA	NA	
21	Current Liability Ratio	0.15	0.16	0.15	
22	Total Debts to Total Assets	0.69	0.74	0.69	
23	Debtors Turnover	NA	NA	NA	N
24	Inventory Turnover	NA	NA	NA	N
25	Operating Margin(%)	NA	NA	NA	N
26	Net Profit Margin(%)	(1.63)	(2.88)	(1	

Notes:

1. The above Audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 202 by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at 30th May, 2022.
2. The above is an extract of the detailed format of Audited financial results fo ended 31st March, 2022 filed with Bombay Stock Exchange Limited (BSE) pursu SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The F available on the website of Stock Exchange i.e. **www.bseindia.com** and on the w i.e. **www.eldecogroup.com**.
3. The Column of figure for the quarter ended 31.03.2021 has not been disclosed to relaxation provided by SEBI vide its circular SEBI/HO/CDDHS/CIR/2021/000 2021.
4. The Company has not appointed any Managing Director or Executive Direct of Section 203 of the Companies Act, 2013. Hence, the Board of Directors Jaswal (DIN: 05254332), Director to sign the Financial Results for the Q March, 2022.
5. The disclosures pertinent to other line items referred under Regulation 52 and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, have been made to the can be accessed on **www.bseindia.com**.

Fo

Date: 30.05.2022
Place: New Delhi

MISHRA DHATU NIGAM LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L14242TG1974GOI001665
Registered Office: PO - Kanchanbagh, Hyderabad - 500058, Telangana
Tel. No: 040-2418 4515 Fax No: 040-2956 8502
Email Address: company.secretary@midhani-india.in Website: www.midhani-india.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING

Pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder read with the General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 (in continuation to circulars issued earlier in this regard) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members may kindly note that Mishra Dhatu Nigam Limited ("MIDHANI" or "Company") has on Monday, May 30, 2022, sent a Postal Ballot Notice ("Notice") dated May 26, 2022, together with the Statement pursuant to Section 102(1) of the Act, via e-mail to all Members of the Company who have registered e-mail with Company/Depositories/ Depository Participants/ Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Alankit Assignments Limited, to seek their approval through e-voting only for:

1. Appointment of Smt. Vallikkal Thanayankichi Renu (DIN: 09561611) as an Independent Director.

The Notice is available on the Company's website viz. **https://midhani-india.in/** under 'Investors' section and on the website of National Securities Depository Limited at **https://www.evoting.nsdl.com/** and also on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited (BSE) at **https://www.bseindia.com/** & The National Stock Exchange of India Limited (NSE) **https://www.nseindia.com/**.

In compliance with applicable provisions of the Act & MCA Circulars, MIDHANI has sent Notice along with procedure & instructions for e-voting only through electronic mode, to those Members who are holding equity shares as on **Friday, May 27, 2022 ("Cut-off date")**. Accordingly, physical copy of the Notice, postal ballot form and pre-paid business reply envelope has not been sent for this postal ballot exercise. Members are requested to refer e-voting instructions outlined in the Notice to cast their vote on the resolutions proposed for their approval. Members are requested to give their Assent/Dissent to the proposed resolutions through e-voting facility only.

MIDHANI has engaged NSDL for providing e-voting facility to the Members of the Company for casting their vote(s) electronically. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners as maintained by Depositories as on Cut-off date will be entitled to vote on cast their vote in proportion to their shareholding to the total paid-up equity share capital of the Company.

E-voting facility will be available during the following period to members whose name appears in Register of Members/Beneficial owners provided by NSDL & CDSL as on Cut-off date:

Commencement of e-voting	**From 9.00 a.m. (IST) on June 1, 2022 (Wednesday)**
End of e-voting	**Upto 5.00 p.m. (IST) on June 30, 2022 (Thursday)**

Members are requested to record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through the e-voting process **not later than by 5.00 p.m. (IST) on June 30, 2022**; e-voting will be blocked by NSDL immediately thereafter and will not be allowed beyond the said date and time.

The manner, instructions & other information relating to e-voting process (including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting), forms part of the Notice.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same - in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. Alankit Assignments Limited (ALANKIT) with details of folio number and self attested copy of PAN card at Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110 055 or by sending e-mail to **rta@alankit.com** and Members can also send an e-mail to Company at **company.secretary@midhani-india.in**.

The Company has appointed CS Nanajyothi Puttaparthi, Practicing Company Secretary, as Scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in fair and transparent manner.

The results of Postal Ballot shall be declared on or before Saturday, July 2, 2022, along with the Scrutinizer's report, be displayed at the Registered Office as well as Corporate Office of the MIDHANI, communicated to the Stock Exchanges and will also be uploaded on the MIDHANI's website viz. **https://midhani-india.in/** and on the website of NSDL at **https://www.evoting.nsdl.com/** and also on the website of stock exchanges viz. **https://www.bseindia.com/** and **https://www.nseindia.com/**.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **https://www.evoting.nsdl.com/** or call on **toll free no.: 1800 1020 990** and **1800 22 44 30** or send a request to Ms. Soni Singh, NSDL at **evoting@nsdl.co.in**.

For Mishra Dhatu Nigam Limited
Sd/-
Paul Antony
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: A29037

Place : Hyderabad
Date : May 30, 2022

CK BIRLA GROUP | ORIENT PAPER

ORIENT PAPER & INDUSTRIES LTD.

[Regd. Office : Unit VIII, Plot 7, Bhoinagar, Bhubaneswar - 751012 (Odisha)]
Tel: (0674) 2398030 /2392947, Fax (0674) 2398364, E-mail:paper@birlaber.com
CIN: L21011OR1936PLC000117

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2022

(₹ In lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-03-2022 (Audited)	31-12-2021 (Unaudited)	31-03-2021 (Audited)	31-03-2022 (Audited)	31-03-2021 (Audited)
1	Total income from operations	19,113.64	16,419.31	15,456.52	58,565.12	44,335.75
2	Profit / (Loss) Before Tax	(160.39)	(700.29)	(63.67)	(4,391.47)	(6,276.29)
3	Net Profit / (Loss) for the period	(220.01)	(350.79)	(383.20)	(2,887.69)	(4,654.56)
4	Other comprehensive income not to be reclassified to Profit & Loss in subsequent periods (net of tax)	(5,516.02)	(5,258.98)	9,085.88	11,903.67	26,245.96
5	Total comprehensive income / loss (3+4)	(5,736.03)	(5,609.77)	8,702.68	9,016.02	21,591.38
6	Paid-up equity share capital (Face value per share : Rs.1/-)	2,121.96	2,121.96	2,121.96	2,121.96	2,121.96
					1,53,163.00	1,44,670.04
7	Other Equity					
8	Earning per Equity Share of face value of Rs.1/- each (Not Annualised) Basic & Diluted	(0.10)	(0.17)	(0.18)	(1.36)	(2.19)

Notes :

1. The Board recommends a dividend of Rs. 0.25 (25%) per share on equity shares of the Company.
2. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 29th May, 2022. The financial results for the year ended 31st March, 2022 have been duly audited by the Company's Statutory Auditors.
3. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website (www.orientpaperindia.com).

By Order of the Board
for ORIENT PAPER & INDUSTRIES LTD.
(Ashwin J. Laddha)
Managing Director & CEO
[DIN 09638310]

Amlai
May 28, 2022

8:45 AM
GREATER HYD | District | SUN MAG
తాజా

...పీ సచివాలయం వద్ద అన్న క్యాంటీన్ ధ్వంసం

గాజులు తీసేసి.. భర్తను వదిలేసి

స్థానికత్వ సంజ్ఞామంలో పరిధి మళ్లింపేనా పురుషులకు సమానంగా మహిళలు పోరాడాలి. జీవనం ఉద్యమాల మయం .. సామాజిక పోరాటం దాకా సుందరంగా విస్తరిస్తూ వివిధరకం వివేకాలో మెలిపెట్టిన గడలో గుండూ కౌరో రూపులో సహకారాన్నే గుణాలిచింది. చేసే పొరుబంధుగా తమకు పొరపరుచుకుపోయిన జీవితాన్నే కాదు.. భర్తను సైతం వదిలేసి పర్చు.. అన్నదుబుల చేతుల్లో తప్పకతప్పాలు పడి కమ్యూనిస్టు గుండూ కౌరో... పరిణతిలో విస్మృతి చిరాంగన!

తెలంగాణలో పోరాటమే తత్త్వుకోవాల్సిన పరిస్థితి అత్యంత క్లిష్టమైన దశ దశలో.. నీటి గుండూ కౌరో... మళ్లీ మళ్లీ వేతకట్టలేని ప్రాణాన్నప్పుడిచ్చి. భర్తను వదలలేనంత ఒక వేళ గాజులను మార్చి పనుకోకు... గుండూ నేలంతలో కలిసి బారతిలో ఐక్యమైంది. చివరి వేళలా కలిసి బారతిలో ఐక్యమైంది. చివరి వేళలా కలిసి బారతిలో ఐక్యమైంది. ఇలా పనుకోకు గుండూ కౌరో

मिलाप की अपील

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यूरिया उत्पादन रुकवाया

जनता द्वारा कारखाने के कारण खराब हो रही आबो हवा की अनेक शिकयतों के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने रामागुंडम फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड (आरएफसीएल) को उर्वरक उत्पादन रोक देने की नोटिस दे दी और 12 लाख रुपये की गारंटी की रकम जब्त कर ली। स्थानीय लोगों को शिकायत थी कि उर्वरक उत्पादन इकाई के कारण चारों तरफ बदबू फैल रही थी।

केंद्र ने हाल ही में कारखाने की दशा सुधारने के लिए 6,120 करोड़ रुपये खर्चे थे, ताकि इकाई प्रति वर्ष 12.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करने लगे। अधिकारियों ने विगत 28 फरवरी, 2020 को ट्रायल रन शुरू किया था।

लेकिन इकाई के इर्द-गिर्द रहने वालों ने गैसों के रिसाव समेत बदबू फैलने तथा अन्य अनेक परेशानियों की शिकायत की थी। वहाँ से निकलने वाले उच्छिष्ट से पानी भी प्रदूषित हो रहा था। गैसों के लीकेज की शिकायतें तो आस-पड़ोस की दूर बसी हुई कई कालोनियों से आने लगी थीं। आरएफसीएल यूनियन के प्रेसिडेंट अंबाति नरेश ने आरोप लगाया कि गुणवत्ता पूर्ण काम के न होने से गैसों का रिसाव हो रहा है और गंदे पानी के निकास की व्यवस्था बदले जाने से जल गंदा होने लगा है।

खालिद को आतंकवादी नहीं ठहराया जा सकता : कोर्ट

नई दिल्ली, 30 मई-(भाषा)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए भाषण की भाषा सही नहीं थी, हालाँकि ऐसा होना इसे आतंकवादी कृत्य नहीं बनाता। खालिद को फरवरी-2020 में यहाँ दंगे भड़काने की कथित साजिश से संबंधित यूएपीए कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने उक्त टिप्पणी खालिद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसने इस मामले में निचली अदालत द्वारा 24 मार्च को उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि भाषण की भाषा का गलत होना, इसे आतंकवादी कृत्य नहीं बनाता। हम इसे भली-भाँति समझते हैं। यदि अभियोजन का मामला इस बात पर आधारित है कि भाषण कितना आक्रामक था, तो यह अपने आप में अपराध नहीं होगा। हम उन्हें एक अवसर देंगे।

पीठ ने कहा कि भाषण आक्रामक और आपत्तिजनक था और इसे मानहानिकारक माना जा सकता है, लेकिन इसे आतंकवादी गतिविधि नहीं ठहराया जा सकता। अदालत खालिद के वकील द्वारा पेश दलीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें खालिद द्वारा 17 फरवरी, 2020 को अमरावती में दिए गए भाषण का उल्लेख किया गया। वकील ने इस मामले में संरक्षित गवाहों द्वारा दिए गए बयानों को भी पढ़ा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की।

विमान दुर्घटनास्थल से 21 शव बरामद

काठमांडू, 30 मई-(भाषा)
नेपाल के पर्वतीय मुस्तांग जिले में रविवार को तारा एअर का विमान जिस जगह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहाँ से 21 शव बरामद किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि विमान में 4 भारतीयों समेत कुल 22 लोग सवार थे और यह पोखरा से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

तारा एअर का टर्बोप्रॉप ट्विन ओट्टर 9एन-एईटी विमान रविवार की सुबह नेपाल के पर्वतीय इलाके में लापता हो गया था। कनाडा निर्मित विमान में 4 भारतीय, 2 जर्मन और 13 नेपाली नागरिकों सहित कुल 22 लोग सवार थे। इसमें चालक दल के 3 नेपाली सदस्य भी सवार थे। यह विमान पोखरा से मध्य नेपाल स्थित मशहूर पर्यटक शहर जोमसोम की ओर जा रहा था। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएनाद्वार) जारी एक बयान के मुताबिक, बचावकर्मियों ने दुर्घटनास्थल से 21 शवों को बरामद कर लिया है। बयान में कहा गया कि एक व्यक्ति अब भी लापता है। बयान में कहा गया कि 10 शवों को काठमांडू लाया गया है, जबकि 11 शव आधार शिविर ले जाए गए हैं, जहाँ से राहत कार्य का समन्वय हो रहा है। तारा एअर के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोला ने कहा कि खोज एवं बचाव दल बचे हुए एक व्यक्ति की तलाश में इलाके में छानबीन कर रहे हैं।

राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने विमान हादसे में चालक दल के सदस्यों और यात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सरकार ने तारा एअर विमान दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए वरिष्ठ वैमानिक इंजीनियर रतीश चंद्र लाल सुमन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया है।

सीएएएन के महानिदेशक प्रदीप अधिकारी ने सोमवार को संसद की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक में कहा कि प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि विमान खराब मौसम के कारण बाईं ओर मुड़ने के बजाय दाईं ओर मुड़ने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इससे पहले अपराह्न में सीएएएन ने एक बयान में बताया कि मुस्तांग जिले के थसांग-2 में 14,500 फुट की ऊँचाई पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

माय रिपब्लिका समाचार-पत्र की खबर के अनुसार, खराब मौसम के कारण अवरुद्ध एक मार्ग को साफ करने के लिए इलाके में पहुँचे इंदा सिंह ने पाया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। समाचार-पत्र ने सिंह के हवाले से कहा कि विमान में सवार सभी लोग मृत मिले हैं। शव शिनाख्त करने की स्थिति में हैं। सिंह ने बताया कि विमान में आग नहीं लगी थी। विमान संभवत: एक चट्टान से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सीएएएन के अनुसार, दुर्घटनास्थल पर नेपाल की सेना, एयर डायनेस्टी, कैलाश हेलिकॉप्टर, फिशटेल एयर हेलिकॉप्टर के खोज एवं बचाव दल और अन्य बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं।

एपी में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 11 घायल

अमरावती, 30 मई-(भाषा)
आंध्र-प्रदेश के पलनाडु जिले के रेंटाचिंताला में रविवार देर रात भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि क्षमता से अधिक लोगों को लेकर जा रही एक वैन रेंटाचिंताला में एक विद्युत केंद्र के पास सड़क के किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस ने बताया कि छोटी वैन में कम से कम 38 लोग सवार थे, जो तीर्थयात्रा करके श्रीशैलम लौट रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने फोन पर कहा कि हम हादसे के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हैं। कुछ को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुंटूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दु:ख व्यक्त किया और सरकार से मृतकों के परिजन को सहायता प्रदान करने तथा घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

भारी बारिश के कारण जामा मस्जिद का गुंबद क्षतिग्रस्त

नई दिल्ली, 30 मई-(भाषा)
दिल्ली में सोमवार शाम आँधी और उसके बाद आई भारी बारिश के कारण ऐतिहासिक जामा मस्जिद के गुंबद और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुँचा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि मस्जिद की एक मीनार और अन्य हिस्सों से पत्थर टूटकर गिरने से 2 लोग घायल हो गए। बुखारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि मुख्य गुंबद का कलश टूटकर गिर गया और नुकसान से बचने के लिए इसे तत्काल ठीक करने की जरूरत है। मस्जिद के ढाँचे के कुछ और पत्थर भी गिर गए। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की मदद से मस्जिद की तत्काल मरम्मत करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखूँगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि एक टीम को जामा मस्जिद के निरीक्षण और नुकसान के आकलन के लिए भेजा गया है।

मंकीपॉक्स महामारी का रूप नहीं लेगा : डब्ल्यूएचओ

लंदन, 30 मई-(एपी)
मंकीपॉक्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की शीर्ष विशेषज्ञ ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता यह बीमारी एक महामारी का रूप लेगी, लेकिन इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। उन्होंने कहा कि एक सवाल यह है कि यह बीमारी वास्तव में किस तरह फैलती है और क्या दशकों पहले चेचक टीकाकरण पर रोक लगाए जाने के कारण किसी तरह इसका प्रसार तेज हो सकता है। डब्ल्यूएचओ की डॉक्टर रोजमंड लुईस ने सोमवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि विश्व स्तर पर दर्जनों देशों में अधिकतर समलैंगिक, उभयलिंगी या पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष मंकीपॉक्स के शिकार हुए हैं, ताकि वैज्ञानिक इसके बारे में और अध्ययन कर सकें और जो लोग इसका शिकार हो सकते हैं, उन्हें ऐहतियात बरतने की सलाह दे सकें। उन्होंने कहा कि कोई भी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है, भले ही उसकी लैंगिक पहचान कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि इस बात की आशंका नहीं है कि यह बीमारी महामारी का रूप ले लेगी।

मंकीपॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकीपॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी-कभी अन्य क्षेत्रों में पहुँच जाता है।

छात्राओं ने हिज़ाब पहनने की माँगी अनुमति

मंगलुरू, 30 मई-(भाषा)
कर्नाटक में हिजाब पर विवाद सोमवार को फिर से बढ़ गया, क्योंकि मंगलुरू विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं ने दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त (डीसी) से संपर्क कर परिसर में इसे (हिजाब को) पहनने की इजाजत माँगी।

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की शनिवार को फिर से माँग करने वाली 12 छात्राएँ सोमवार को भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आईं। छात्राओं के लिए ड्रेस कोड होने की वजह से विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें शनिवार की ही तरह सोमवार को भी प्रवेश नहीं करने दिया। उन्हें जिले के उपायुक्त से संपर्क करने को कहे जाने पर तीन छात्राएँ उनके कार्यालय गईं और एक ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त डॉ. राजेंद्र के. वी. ने कहा कि विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने हिजाब या भगवा स्कार्फ या ऐसा कोई कपड़ा जो शांति भंग कर सकता हो, उसकी अनुमति नहीं देने का फैसला किया है, जिसके बाद कॉलेज के अधिकारियों ने उनके प्रवेश पर रोक लगा।

उन्होंने उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और उन कॉलेजों में ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए जहाँ पोशाक निर्धारित की गई है। पत्रकारों से बात करते हुए, डॉ राजेंद्र ने कहा कि विश्वविद्यालय सिंडिकेट के आदेश से नाराज कुछ छात्राओं ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया, मैंने उनसे कहा कि मैं सिंडिकेट सदस्यों के निर्णय को जिला स्तर पर चुनौती नहीं दे सकता और आपको सिंडीकेट के आदेश और नियमों का पालन करना होगा। उन्हें कानूनी पहलुओं को भी देखना होगा। मैंने उनसे कॉलेज परिसर में शांति सुनिश्चित करने की भी अपील की है।

विश्वविद्यालय के कुलपति पी सुब्रह्मण्य यदापदिथया ने मंगलुरु प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि विश्वविद्यालय को उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी छात्रा को इसके क्रियान्वयन में कोई समस्या आती है, तो हम इस मुद्दे को हल करने के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे।

छात्राओं का कहना है कि यह आदेश प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए है न कि डिग्री कॉलेजों के लिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी शनिवार को उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया था और कहा था कि सभी को निर्धारित पोशाक पहनने के नियम का पालन करना चाहिए।

रास के लिए के. लक्ष्मण नामित

हैदराबाद, 30 मई-(मिलाप ब्यूरो)
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए घोषित नामों में तेलंगाना से भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण के नाम की घोषणा की। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा घोषित उम्मीदवारों के नामों में मध्य-प्रदेश से सुमित्रा वाल्मिकी, कर्नाटक से लहर सिंह सिरोया व उत्तर प्रदेश से मिथिलेश कुमार के नामों की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि राज्यसभा के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं।

आज ईंधन नहीं खरीदेंगे पेट्रोल पंप डीलर

नई दिल्ली, 30 मई-(भाषा)
पेट्रोल पंप डीलरों के एक संगठन ने पेट्रोलियम विपणन कंपनियों द्वारा उनके कमीशन में बढ़ोत्तरी नहीं किए जाने के विरोध में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की खरीद नहीं करने का फैसला किया है। हालाँकि पेट्रोल पंपों के टैंक में काफी भंडार रहता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा आने की आशंका नहीं है। पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिएशन ने कहा कि 22 राज्यों में उसके सदस्य इस विरोध में शामिल होंगे। असोसिएशन ने बयान में कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों और डीलर संघों के बीच इस बारे में समझौता हुआ था कि डीलरों के मार्जिन में प्रत्येक 6 माह में संशोधन किया जाएगा, लेकिन 2017 से इसमें संशोधन नहीं हुआ है। हालांकि 2017 से ईंधन के दाम दोगुना हो गए हैं, लेकिन डीलरों के मार्जिन में बदलाव नहीं हुआ है।

अभिभावक ने लिया जाति-धर्म नहीं का प्रमाण-पत्र

कोयंबतूर, 30 मई-(भाषा)
कोयंबतूर के एक दंपत्ति ने साढ़े तीन साल की अपनी बेटी के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं का प्रमाण-पत्र हासिल किया है। दंपत्ति - नरेश कार्तिक और गायत्री अपनी बेटी विल्मा को स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते थे, लेकिन सभी स्कूलों ने जाति और धर्म प्रमाण-पत्र जमा करने पर जोर दिया। लेकिन दंपत्ति ने कहा कि वे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी स्कूलों में प्यार और समानता सीखना चाहती है। कार्तिक के एक करीबी दोस्त ने सोमवार को बताया कि ऐसे प्रमाण-पत्र के लिए जोर नहीं देने वाले शैक्षणिक संस्था की तलाश करने के बाद नरेश कार्तिक ने विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया और जिलाधिकारी जी.एस. समीरन से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों की जाति और धर्म के प्रमाण-पत्र के संबंध में तमिलनाडु सरकार के 1973 के एक आदेश का हवाला देते हुए कार्तिक को उत्तरी कोयंबतूर के तहसीलदार से संपर्क करने के लिए कहा। इसके बाद दंपत्ति ने तहसीलदार से मुलाकात की, जिन्होंने एक हलफनामा देने के लिए कहा, जिसमें यह बताने को कहा गया कि अभिभावक को पता है कि जाति नहीं, धर्म नहीं प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से उनका बच्चा जाति और धर्म के आधार पर किसी सरकारी आरक्षण या विशेषाधिकार प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।

कार्तिक के दोस्त ने कहा कि दंपत्ति को प्रमाण-पत्र मिल गया और इसमें उल्लेख है कि उनकी बेटी किसी जाति या धर्म से संबंधित नहीं है। कार्तिक के मुताबिक, ज्यादातर लोगों को इस तरह के प्रमाण-पत्र की जानकारी नहीं है।

MISHRA DHATU NIGAM LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): L14292TG1973GOI001660
Registered Office: PO – Kanchanbagh, Hyderabad - 500058, Telangana
Tel. No: 040-2418 4515 Fax No: 040-29568502
Email Address: company.secretary@midhani-india.in Website: www.midhani-india.in

पोस्टल बैलेट/ई-वोटिंग की सूचना

कंपनीज एक्ट, 2013 (**'द एक्ट'**) के सेक्शन 108 एवं 110 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम जिसे कर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (**'एमसीए सकुलर्स'**) द्वारा जारी जनरल सर्कुलर सं. 3/2022 दिनांक 5, 2022 (इस संदर्भ में जारी पूर्व सर्कुलर के क्रम में) एवं सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिकेशन्स एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट), रेग्युलेशन, 2015 के साथ पढ़ा जाए, का अनुपालन करते हुए सदस्य कृपया नोट करें कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड (**'मिधानी या कंपनी'**) ने कंपनी के सभी सदस्यों, जो कंपनी/डिपॉजिटरीज़/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स/कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट यानि अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड के साथ रजिस्टर्ड ई-मेल है, को नीचे उल्लेखित के लिए ई-वोटिंग के माध्यम से उनकी अनुमति लेने के लिए ई-मेल द्वारा इस एक्ट के सेक्शन 102 (1) के अनुपालन में बयान के साथ पोस्टल बैलेट सूचना (**'नोटिस'**) भेजी है।

1. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती वल्लिक्कट थानायांकिझिल रेमा (डीआईएन : 09561611) की नियुक्ति।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट यानि **https://midhani-india.in/investors** सेक्शन के अंतर्गत एवं नेशनल सेक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com/**साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानि बीएसई लिमिटेड (बीएसई) **https://www.bseindia.com/** एवं भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) **https://www.nseindia.com/**पर भी उपलब्ध है।

एक्ट के लागू प्रावधानों एवं एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में मिधानी ने केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से ई-वोटिंग के लिए अनुदेश एवं निर्देशों के साथ सूचना उन्हीं सदस्यों को भेजी है, जिनके पास **शुक्रवार, 27 मई, 2022 (कट ऑफ तिथि)** तक इक्विटी शेयर्स हैं। तदनानुसार, इस सूचना की फिजिकल कॉपी, पोस्टल बैलेट प्रपत्र एवं प्रीपेड व्यवसायिक जवाबी लिफाफा इस पोस्टल बैलेस्ट उपयोग के लिए नहीं भेजा गया है। सदस्यों से आग्रह है कि अपनी स्वीकृति के लिए प्रस्तावित संकल्प पर अपनी स्वीकृति के लिए इस सूचना में रेखांकित ई-वोटिंग निर्देशों को देखें। सदस्यों से आग्रह है कि प्रस्तावित संकल्प पर अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति केवल ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से प्रदान करें।

मिधानी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए कंपनी के सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया हुआ है। केवल वही सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या कट ऑफ डेट तक डिपाजिटरी द्वारा लाभार्थी मालिकों के रजिस्टार में बनाए रखे हैं, में रिकार्ड किए गए है, कंपनी के कुल चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में अपनी हिस्सेदारी अनुपात में अपने मतदान के उपयोग के हकदार होंगे।

नीचे उल्लेखित अवधि के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उन्हीं सदस्यों को होगी, जिनका नाम कटऑफ तिथि तक एनएसडीएल एवं सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देंगे।

ई-वोटिंग प्रारंभ होना	1 जून, 2022 (बुधवार) को सुबह 9.00 बजे से (भामास)
ई-वोटिंग बंद होना	30 जून (गुरुवार) को सायं 5.00 बजे (भामास)

सदस्यों से आग्रह है कि ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी स्वीकृति (सहमति) या अस्वीकृति (विरोध) 30 जून, 2022 को सायं 5-00 बजे (भामास) से पूर्व रिकॉर्ड कराएँ। इसके पश्चात ई-वोटिंग एनएसडीएल द्वारा तत्काल अवरुद्ध कर दी जाएगी एवं कथित तिथि एवं समय के बाद अनुमति नहीं होगी।

ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित तरीका, निर्देश एवं अन्य जानकारी (इसमें फिजिकल प्रारूप में शेयर धारक सदस्य या वे जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं प्रक्रिया भी शामिल है) इस सूचना का हिस्सा होगी।

सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता रजिस्टर्ड नहीं किया हैं, से आग्रह है कि अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखे शेयर के संदर्भ में एवं फिजिकल प्रारूप में रखे शेयर के संबंध में अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110055 पर फोलियो नंबर के विवरण एवं पैनकार्ड के स्वयं सत्यापित कॉपी के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानि अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (अलंकित) को लिखकर या **rta@alankit.com** को ई-मेल भेजकर रजिस्टर कराएँ एवं सदस्य **company.secretary@ midhani-india.in** पर कंपनी को ई-मेल पर भी भेज सकते हैं।

कंपनी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शक तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच-पड़ताल के लिए जाँचकर्ता के रूप में सीएस नवज्योत पुट्टापर्ती, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया है। पोस्टल बैलेट का परिणाम जाँचकर्ता की रिपोर्ट के साथ शनिवार, 2 जुलाई, 2022 को या इससे पूर्व घोषित की जाएगी, मिधानी के कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ ही पंजीकृत कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी, स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाएगी एवं मिधानी की वेबसाइट यानि **https://midhani-india.com/** और एनडीएसएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com/** एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानि **https://www.bseindia.com/**एवं **https://www.nseindia.com/**पर अपलोड की जाएगी।

किसी भी प्रकार के पूछताछ के लिए आप **https://www. evoting. nsdl.com/** के डाउनलोड सेक्शन पर शेयरधारक के लिए बार-बार प्रश्न पूछे (एफएक्यू) एवं शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या टोलफ्री नं. : 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल करें या **evoting@nsdl.co.in** पर सुश्री सोनी सिंह, एनएसडीएल को आग्रह करें।

कृते **मिश्र धातु निगम लिमिटेड**
हस्ता/- **पॉल एंटोनी**
कंपनी सेक्रेटरी एण्ड कम्प्लाइंस ऑफिसर
सदस्यता सं. ए 29037

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 30 मई, 2022

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत तेज़...

कि अपना जीवन अपने सपनों के नाम कर दो, सपने पूरे होने के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार अपने 8 साल पूरे कर रही है, तब देश का आत्मविश्वास, देशवासियों का खुद पर भरोसा अभूतपूर्व है।

मोदी ने कहा कि देश भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटालों, भाई-भतीजावाद, आतंकवादी संगठनों और क्षेत्रीय भेदभाव के दुष्चक्र से बाहर निकल रहा है, जिसमें वह 2014 से पहले फँसा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के लिए एक मिसाल है कि बेहद मुश्किल दिन भी बीत जाते हैं।

मोदी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन यह दर्शाता है कि हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। पीएम केयर्स कोष के बारे में उन्होंने कहा कि इस कोष ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अस्पतालों को तैयार करने, वेंटिलेटर खरीदने, ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में भी काफी मदद की। उन्होंने कहा कि इसके जरिए कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और कई परिवारों का भविष्य बचाया जा सकता है।

अपने माता-पिता को महामारी में खो चुके बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए मोदी ने कहा कि निराशा के माहौल में भी अगर हम खुद पर विश्वास रखें, तो आशा की एक किरण अवश्य दिखाई देती है। हमारा देश स्वयं इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में अच्छी किताबें उनकी विश्वसनीय दोस्त बन सकती हैं।

मोदी ने बच्चों से रोग मुक्त रहने, खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने और उसका नेतृत्व करने का आह्वान किया। मोदी ने उनसे योग दिवस में हिस्सा लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन कोरोना वायरस से प्रभावित ऐसे बच्चों की मुश्किलों को कम करने का एक छोटा-सा प्रयास है, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ज्ञानवापी पर...

श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा-अर्चना करने और विभिन्न विग्रहों की सुरक्षा से संबंधित एक याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मोहमद तोहिद खान ने कहा कि हममें आज अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा है। अभी हमारी बहस पूरी नहीं हुई है। अदालत ने सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। अगली सुनवाई को भी हमारी बहस जारी रहेगी।

वहीं ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने के याचिका पर सुनवाई करते हुए त्वरित अदालत ने 8 जुलाई को अगली तारीख तय की है। शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के दौरान मूल वाद की कॉपी सारे वादियों को देने के लिए कहा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है।

विश्व वैदिक संघ की महामंत्री किरण सिंह ने 24 मई को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ ही ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन करने के अधिकार के लिए याचिका डाली थी, जिसमें नियमित पूजा-अर्चना के बिंदु को तात्कालिकता को देखते हुए अदालत ने दूसरे दिन बुधवार को सुनवाई का समय दिया था। जिसे जिला जज ए.के. विश्वेश ने त्वरित (फास्ट ट्रैक) अदालत के पास भेजते हुए सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए त्वरित अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि इस मामले में सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पिछले 26 अप्रैल को परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराने के आदेश दिए थे। इस सर्वे की रिपोर्ट पिछली 19 मई को अदालत में पेश की गई थी। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज करते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है। इसी बीच उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर मामले को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वीडियो पर...

अगर चरित्र इस्लामी है, तो क्या पूजा फलीभूत होगी और यदि चरित्र सनातनी है, तो क्या नमाज जायज होगी। इस एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, समस्या का समाधान भी हो जाएगा और धर्मसत्ता के लिए हिलोरें मार रही धारणाएँ भी सबके चश्मे से सबको देखना शुरू कर देंगी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राकेश टिकैत...

के आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। यह सब सरकार की मिलीभगत से हुआ है। खबर है कि दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सफाई दे रहे थे कि वे इस मामले में शामिल नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान नेता कोडिहल्ली के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्रकारों और नेताओं के बीच सवाल-जवाब का दौर चल ही रहा था कि कुछ लोगों ने उनपर काली स्याही फेंक दी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समीर वानखेड़े...

तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि क्रूज ड्रग्स केस में पिछले हफ्ते ही एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की थी। एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन समेत तीन अन्य आरोपियों के नाम शामिल नहीं किया था। इसके बाद एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान समेत तीन लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद से एनसीबी और समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े हो रहे थे। लोग एनसीबी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं कुछ लोग इसे बदले की कार्रवाई करार दे रहे थे। दरअसल एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट में स्वीकार किया था आर्यन खान के पास से ना तो ड्रग्स बरामद हुए थे और ना ही आर्यन खान के ड्रग्स लेने के सबूत मिले थे।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गायक हत्याकांड...

उनके परिवार के साथ है और मैं वाहेगुरु से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मूसेवाला के पिता ने इससे पहले मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर अपने बेटे की हत्या की उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जाँच कराने की माँग की थी। समझा जाता है कि मूसेवाला का परिवार पोस्टमॉर्टम कराने के लिए तैयार नहीं था। मान को लिखे पत्र में बलकौर सिंह ने घटना के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की कथित अक्षमता को जिम्मेदार ठहराया। सिंह ने पत्र में लिखा कि शुभदीप की माँ मुझसे पूछ रही हैं कि उनका बेटा कहाँ है और वह कब लौटेगा